

निषेध

- I. कोई भी वितरक बायोथॉन लाइफकेयर नाम और उसके लोगो का उपयोग ब्रोशर, सोशल प्लेटफॉर्म आदि जैसी मार्केटिंग सामग्री पर नहीं कर सकता है, जो कंपनी द्वारा अधिकृत नहीं है या कंपनी प्रबंधन की लिखित अनुमति के बिना नहीं है।
- II. प्रोत्साहन का कोई भी भुगतान, चाहे उसे किसी भी नाम से कहा जाए, उनकी संबंधित बिक्री की मात्रा से असंबंधित है, निषिद्ध है।
- III. कि वितरक या उसके रिश्तेदार (रिश्तेदार का अर्थ है आश्रित पुत्र या पुत्री, पिता/माता, पति/पत्नी) किसी अन्य इकाई की मल्टी-लेवल मार्केटिंग की किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे। यदि ऐसा पाया गया तो ऐसे वितरक को बर्खास्त कर दिया जाएगा।
- IV. वितरक को किसी भी उत्पाद को सूचीबद्ध करने, विपणन करने, विज्ञापन देने, प्रचार करने, चर्चा करने या बेचने, या किसी भी वेबसाइट या ऑनलाइन फोरम पर व्यवसाय के अवसर से प्रतिबंधित किया जाता है जो बिक्री के तरीके के रूप में नीलामी की पेशकश करता है।
- V. कि वितरक इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को कंपनी से उत्पाद खरीदने या कंपनी का वितरक बनने के लिए किसी भी झूठे बयान/वादे के साथ मजबूर या प्रेरित या गुमराह नहीं करने का वचन देता है।
- VI. कि वितरक और कंपनी इसके द्वारा मनी सर्कुलेशन स्कीम या प्राइज चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम (प्रतिबंध) अधिनियम, 1978 द्वारा वर्जित किसी भी कार्य में शामिल नहीं होने का वचन देते हैं।
- VII. कंपनी/वितरक उपभोक्ता मामलों के विभाग, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी "उत्पाद बिक्री पर मॉडल दिशानिर्देश पर राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह" के खंड 1(12) में परिभाषित पिरामिड योजना को बढ़ावा नहीं देगा। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, भारत सरकार दिनांक. 09 सितम्बर 2016 एफ.एन.ओ. 21/18/2014-आईटी (खंड-2)। उत्पाद बेचने के व्यावसायिक अवसरों की आड़ में।